न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम सालरियाकंला तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 104/2015 (बाद दायर)

अनवान

1 श्रीमति हीरी पुत्री तुलछा बलाई, उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा.
2 श्रीमति कमला पुत्री तुलछा बलाइ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

.... वादीगण

बनाम

1 श्रीमति डाली पत्नि रामप्रसाद बलाई उम्र वयस्क निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

.... प्रतिवादीया

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्रीमति हीरी बलाई.............. वादीया संख्या 01
श्री अरूण चन्द्र देराश्री ....अधिवक्ता प्रतिवादीया
पैरोकार सरकार

दिनांक– 23.06.2017

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर से पारित अपील निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.09.2015 की अनुपालना में वादपत्र इस प्रकार मंजूर कर वादपत्र में डिक्री के इस आशय की जारी की जाती हैं कि– ग्राम कल्याणपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 35, 38, 49, 54, 59, 60, 109, 112, 123, 176, 177 कुल किता 11 कुल रकबा 17–05 बीघा भूमि में वादीया संख्या 01 हीरी बलाई को 1/3 हक हिस्से का, वादीया संख्या 02 कमला बलाई को 1/3 हक हिस्से का, प्रतिवादीया संख्या 01 डाली पत्नि रामप्रसाद बलाई को 1/3 हक हिस्से का संयुक्त खातेदारी हक से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते है। इसके साथ वादीगण एंव प्रतिवादीया के उपयोग उपभोग में उभयपक्ष आपस में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से उभयपक्ष को पांबद किया जाता है। तद्नुसार अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक 23.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम सालरियाकंला में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)